

¹[नियम 164 : धारा 73 के अधीन जारी की गई मांगों के संबंध में धारा 128क के अधीन कार्यवाही को बंद करने के लिए प्रक्रिया और शर्तें]

- (1) कोई व्यक्ति जो धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (क) में उल्लिखित किसी सूचना या किसी कथन के संबंध में ब्याज या शास्ति या दोनों के अधित्यजन के लिए पात्र है, तो वह मांग किए गए कर के संबंध में **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03** में किए गए संदायों के ब्यौरो देते हुए सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन फाइल कर सकेगा।
- (2) कोई व्यक्ति जो धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) में उल्लिखित आदेशों के संबंध में ब्याज या शास्ति या दोनों के अधित्यजन के लिए पात्र है, तो वह मांग किए गए कर के संबंध में किए गए संदायों के ब्यौरो के साथ उक्त आदेश का ब्यौरो देते हुए सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन फाइल कर सकेगा:

परंतु ऐसे मांग किए गए कर के संबंध में संदाय केवल उक्त आदेश द्वारा सृजित नामे प्रवृष्टि के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में रकम प्रत्यय करके किया जाएगा;

परंतु यह और कि यदि ऐसे मांग किए गए कर के संबंध में संदाय **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03** के माध्यम से किया गया है, तो **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02** में आवेदन फाइल करने से पूर्व, नियम 142 के उपनियम (2ख) में यथाविहित **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03क** में, ऐसे मांग किए गए कर के संबंध में सृजित नामे प्रवृष्टि के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में उक्त रकम के प्रत्यय के लिए उक्त व्यक्ति द्वारा आवेदन फाइल किया जाएगा।

- (3) जहां धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना या कथन या आदेश में आंशिक रूप से गलत प्रतिदाय के कारण और आंशिक रूप से अन्य कारणों से कर की मांग भी सम्मिलित है, उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचित तारीख को या इससे पूर्व केवल उक्त सूचना या कथन या आदेश में मांग किए गए कर की पूर्ण रकम के संदाय के पश्चात् ही उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन कोई आवेदन फाइल किया जाएगा।
- (4) जहां धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना या कथन या आदेश में आंशिक रूप से उक्त धारा में उल्लिखित अवधि से भिन्न अवधि के लिए कर की मांग भी सम्मिलित है, उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचित तारीख को या इससे पूर्व केवल उक्त सूचना या कथन या आदेश में मांग किए गए कर की पूर्ण रकम ²[उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचित तारीख को या इसमें पूर्व केवल उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि से संबंधित कर की पूर्ण रकम

¹ अधिसूचना क्रमांक 20/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 08.10.2024 द्वारा नियम 164 अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.11.2024)।

² अधिसूचना क्रमांक 11/2025-केन्द्रीय कर, दिनांक 27.03.2025 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 03.2025)। 27.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

और उक्त सूचना या कथन या आदेश में मांग किए गए कर] के संदाय के पश्चात् ही उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन कोई आवेदन फाईल किया जाएगा ।

³[स्पष्टीकरण— उन मामलों में जहां अधिनियम की धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित कोई सूचना या विवरण या आदेश में, आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि के लिए और आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि से भिन्न किसी अन्य अवधि के लिए कर की मांग शामिल है, ऐसे किसी भी कर, ब्याज और शास्ति के लिए कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा, जिसका केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2025 के प्रारंभ होने के पूर्व संपूर्ण अवधि के लिए पहले ही उन्मोचन कर दिया गया है।]

(5) उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन संदेय रकम वह रकम होगी, जो धारा 73 के अधीन यथास्थिति सूचना या कथन या आदेश के निबंधन में संदेय रकम में से उस रकम को घटाकर जो धारा 16 की उपधारा (5) या उपनियम (6) के अनुसरण में संदेय नहीं है, संदेय बनी रहती है।

(6) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन फाईल करना चाहता है धारा 128क की उपधारा उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर ऐसा कर सकता है ।

परंतु जहां धारा 128क की उपधारा (1) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट मामलों में कोई आवेदन प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में फाईल किया जाना है, उक्त आवेदन को फाईल करने के लिए समय सीमा धारा 73 के अधीन ऐसे कर का पुनर्निर्धारण करते हुए समुचित अधिकारी के आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास होगी ।

(7) उपधारा (1) उपधारा (2) के अधीन आवेदन, यह स्थापित करने के लिए कि आवेदक धारा 128क के निबंधनों में कर या शास्ति या दोनों के अधित्यजन के लिए पात्र है, यथास्थिति, किसी अपील प्राधिकारी या अधिकरण या न्यायालय के समक्ष फाईल की गई अपील या रिट याचिका, यदि कोई हो, वापिस लेने के साक्ष्य संबंधी दस्तावेज से संलग्न होगा :

परंतु जहां आवेदक ने यथास्थिति अपील प्राधिकारी या अपील प्राधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष कोई अपील या रिट याचिका को वापिस लेने के लिए कोई आवेदन फाईल किया है किंतु उपधारा (1) उपधारा (2) के अधीन आवेदन फाईल करने की तारीख का संबंधित प्राधिकारी द्वारा वापसी के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया है, आवेदक उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन आवेदन के साथ उक्त अपील या रिट याचिका के वापिस लेने के लिए फाईल किए गए ऐसे आवेदन या दस्तावेज की प्रति अपलोड करेगा और संबंधित प्राधिकारी द्वारा वापसी के उक्त आदेश के भीतर सामान्य पोर्टल पर उक्त अपील या रिट याचिका के वापसी के लिए आदेश की प्रति को अपलोड करेगा ।

³ अधिसूचना क्रमांक 11/2025-केन्द्रीय कर, दिनांक 27.03.2025 द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 27.03.2025)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

⁴[परन्तु यह और कि जहां धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित कोई सूचना या विवरण या आदेश में जिसमें आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि के लिए और आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि से भिन्न किसी अन्य अवधि के लिए कर की मांग शामिल है, आवेदक अपील वापस लेने के बजाए अपील प्राधिकारी या अपील न्यायाधिकरण को सूचित करेगा कि वह उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि के लिए अपील को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है और संबंधित प्राधिकारी उक्त अनुरोध पर ध्यान देने के पश्चात् उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि से भिन्न अन्य अवधि के लिए ऐसा आदेश पारित करेगा जिसे वह उचित और न्यायसंगत समझे ।

स्पष्टीकरण— शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि अपील आवेदन धारा 128 क के उप-खंड (3) के प्रयोजनार्थ 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 या उसके भाग की अवधि के लिए उक्त सूचना के विस्तार तक वापस लिया हुआ समझा जाएगा” ।]

- (8) जहां समुचित अधिकारी का यह दृष्टिकोण है कि **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01** या **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02** में किया गया आवेदन नामंजूर किये जाने के लिए दायी है क्योंकि धारा 128क के अनुसार ब्याज या शास्ति या दोनों के अधित्यजन के लिए पात्र नहीं है, वह उक्त आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-03** में आवेदक को सामान्य पोर्टल पर कोई सूचना जारी करेगा और आवेदक को सुनवाई किए जाने का उत्तर फाइल कर सकेगा ।
- (9) उपनियम (8) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर आवेदक उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-04** में सामान्य पोर्टल पर उक्त सूचना का उत्तर फाइल कर सकेगा ।
- (10) यदि समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक धारा 128क के अनुसार ब्याज और शास्ति के अधित्यजन के लिए पात्र है, वह धारा 128क के अधीन उक्त आवेदन को स्वीकार करने और कार्यवाहियों का समापन करने के लिए सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-05** में आदेश जारी करेगा ।
- (11) ऐसे मामले में जहां उपनियम (10) के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-05** में आदेश जारी किया गया है —
- (क) धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी सूचना या कथन से संबंधित **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01** में फाइल किए गए किसी आवेदन के संबंध में, नियम 142 के उपनियम (5) के अनुसार **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07** में आदेश का सार उक्त सूचना या विवरण के संबंध में समुचित अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित नहीं होगा;

⁴ अधिसूचना क्रमांक 11/2025-केन्द्रीय कर, दिनांक 27.03.2025 द्वारा परंतुक एवं स्पष्टीकरण अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 27.03.2025) ।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (ख) धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी आदेश से संबंधित **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02** में फाइल किए गए किसी आवेदन के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर के भाग 2 में सृजित दायित्व को तदनुसार संशोधित किया जाएगा ।
- (12) यदि समुचित अधिकारी आवेदक के उत्तर से संतुष्ट नहीं है, समुचित अधिकारी उक्त आवेदन को नामंजूर करते हुए **जीएसटी एसपीएल-07** में आदेश जारी करेगा ।
- (13) (क) ऐसे मामले में जहां **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-03** में सूचना जारी नहीं की गई है, समुचित अधिकारी यथास्थिति **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01** या **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02** में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उपनियम (10) के अधीन आदेश जारी करेगा ।
- (ख) ऐसे मामले में जहां **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-03** में सूचना जारी की गई है, समुचित अधिकारी **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-04** में आवेदक के उत्तर की प्राप्ति से तीन मास की अवधि के भीतर या जहां आवेदक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-03** में सूचना के जारी होने की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर उपनियम (10) या उपनियम (12) में आदेश जारी करेगा ।
- स्पष्टीकरण—** इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए उपनियम (7) के परंतुक में निर्दिष्ट मामले में, यथास्थिति अपील या रिट की वापसी के लिए आदेश को प्रस्तुत करने की तारीख तक उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन आवेदन के फाइल करने की तारीख से समयावधि को इस उपनियम के खंड (क) या खंड (ख) समय अवधि की गणना करते समय सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।
- (14) यदि उपनियम (13) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर समुचित अधिकारी के द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, तब यथास्थिति **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01** या **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02** में आवेदन को स्वीकृत समझा जाएगा ।
- (15) (क) ऐसे मामले में जहां धारा 107 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समया के भीतर **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-07** में आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की गई है, धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा फाइल की गई मूल अपील, यदि कोई हो, और धारा 128क की उपधारा (3) के अनुसार **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02** में प्रस्तुत आवेदन को प्रत्यावर्तित किया जाएगा ।
- (ख) ऐसे मामले में जहां ब्याज, या शास्ति, या दोनों के अधित्यजन के लिए आवेदन को अस्वीकार करने के लिए आदेश के विरुद्ध **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-07** में अपील दाखिल की जाती है, यदि —

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (i) अपील प्राधिकारी ने यह निर्णय दिया है कि उचित अधिकारी ने **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-07** में ब्याज, या शास्ति, या दोनों के अधित्यजन के लिए आवेदन को गलत तरीके से खारिज कर दिया है, उक्त अपीलीय प्राधिकारी उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए और धारा 128क के अधीन कार्यवाही को समाप्त करते हुए सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-06** में आदेश पारित करेगा; या
- (ii) अपील प्राधिकारी ने यह निर्णय दिया है कि उचित अधिकारी ने **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-07** में ब्याज, या शास्ति, या दोनों के अधित्यजन के लिए आवेदन को सही तरीके से खारिज कर दिया है, धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा दाखिल मूल अपील, यदि कोई हो, और धारा 128क की उपधारा (3) के अनुसार **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02** में आवेदन दाखिल करने के लिए वापस ले ली गई है, इस शर्त के अधीन प्रत्यावर्तित की जाएगी कि आवेदक **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-04** में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-08** में पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक वचनबंध दाखिल करता है, कि उसने अपीलीय प्राधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध न तो कोई अपील दाखिल की है और न ही दाखिल करने का इरादा रखता है ।
- (16) ऐसे मामलों में जहां करदाता से धारा 128क की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अनुसार कर देयता की अतिरिक्त रकम का संदाय करना अपेक्षित है और ऐसा अतिरिक्त संदाय उक्त परंतुक में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, वहां **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-05** या **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-06** में जारी आदेश के अनुसार उक्त धारा के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों की छूट , यदि कोई हो , शून्य हो जाएगा ।
- (17) ऐसे मामलो में जहां करदाता से त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय से संबंधित किसी मांग के संबंध में या धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि के अलावा अन्य अवधि से संबंधित मांग के कारण ब्याज, या शास्ति, या दोनों की कोई रकम का संदाय करना अपेक्षित है, और ऐसी रकम का विवरण **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-05** या **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-06** में उल्लिखित किया गया है, आवेदक, यथास्थिति, **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-05** या **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-06** में आदेश जारी करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर ब्याज, या शास्ति, या दोनों की उक्त रकम का संदाय करेगा, और जहां उक्त रकम उक्त समय अवधि के भीतर संदत्त नहीं की जाती है, **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-05** या **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-06** में जारी आदेश के अनुसार धारा 128क के अधीन ब्याज, या शास्ति, या दोनों का अधित्यजन शून्य हो जाएगा ।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए , इस नियम के अधीन आदेश जारी करने के लिए समुचित अधिकारी ,—

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (क) ऐसे मामलों में जहां ब्याज, या शास्ति, या दोनों के अधित्यजन के लिए आवेदन धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (क) में उल्लिखित नोटिस या विवरण के संबंध में किया जाता है, धारा 73 के अनुसार आदेश जारी करने के लिए समुचित अधिकारी होगा; और
- (ख) ऐसे मामलों में जहां ब्याज, या शास्ति, या दोनों के अधित्यजन के लिए आवेदन धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित आदेश के संबंध में किया जाता है, अधिनियम की धारा 79 में निर्दिष्ट समुचित अधिकारी होगा।]
-